

बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 एवं 2016,2024 के कंडिका 131 (ज) के तहत कोटेशन आमंत्रण

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,भागलपुर में बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 एवं 2016,2024 के कंडिका 131(ज) के तहत इस संस्थान के AB-PMJAY के तहत Ortho Dept.में THR Set Implant + Disposable Item (Cement Less ) के तत्काल आवश्यकता के कम में SGST,CGST & IGST निबंधित एवं अनुभवि संवेदक से सामग्री के निर्माता सहित एवं तकनीकी विशिष्टीयों सहित मुहर बंद लिफाफा में निबंधित डाक/हाथो हाथ से कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

1. कोटेशन दाता का नाम एवं पता :-अधीक्षक,जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा,महाविद्यालय,अस्पताल,भागलपुर।
2. कोटेशन प्राप्ति का स्थान:-अधीक्षक का कार्यालय,जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा,महाविद्यालय,अस्पताल,भागलपुर।
3. कोटेशन प्राप्ति का तिथि एवं समय:-23/07/2026 12 बजे अपराहन तक
4. कोटेशन खोलने का समय :- 24/07/2026 12.30 बजे

नोट:- नियम एवं शर्त अधीक्षक कार्यालय,जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा,महाविद्यालय,अस्पताल,भागलपुर के सूचना पट एवं [www.jlnmchbhagalpur.org](http://www.jlnmchbhagalpur.org)पर देखा जा सकता है।

अधीक्षक

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा, महाविद्यालय  
अस्पताल,भागलपुर।

पत्रांक 4063/

दिनांक 18/7/2026

प्रतिलिपि:- विभागाध्यक्ष हड्डी विभाग/उपाधीक्षक/प्रोचिओ औषधि एवं सर्जिकल भंडार,जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है कि दिनांक 24/07/2026 12.30 बजे कोटेशन खोलने हेतु बैठक में भाग लेने का कृपा करे।

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ,बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा ,परिवार कल्याण भवन,शेखपुरा पटना-14 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,भागलपुर के सूचना पट एवं वेब साईट पर प्रकाशित वास्ते ।

अधीक्षक

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा, महाविद्यालय  
अस्पताल,भागलपुर।

अधीक्षक का कार्यालय, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर।  
कोटेशन के साथ निम्न कागजात देना अनिवार्य है।

- 1- GST return up to Fin Year
- 2- GST No
- 3- Registered Dealer & Co. Authorisation Certificate
- 4- THR Set Implant (Cement less) Co. Name with catlog
- 5- THR Set Implant + no Disposable Item with name
- 6- Each Item Rate GST extra
- 7- THR Set Implant का Market rate से दर अधिक नहीं होना चाहिए।
- 8- समग्री किस मेटल का बना है उल्लेख करना होगा।



